

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

## ::कार्यालय आदेशः

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-शिविरा-माध्य/संस्था/सी-4/रजीगृ/रसायन विज्ञान/स्थानान्तरण/2020 दिनांक: 04.01.2021 के तहत श्री विजय कुमार सैनी, व्याख्याता रसायन विज्ञान का स्थानान्तरण राउमावि, चिराना, झुंझुनू से राउमावि, सांगरिया, शाहपुरा, भीलवाड़ा किया गया। उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध श्री विजय कुमार सैनी द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 873/2021 विजय कुमार सैनी दनाग राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।


अपील संख्या 873/2021 में माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक: 08.02.2021 द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग में सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रस्तुत अभ्यावेदन को राज्य सरकार व विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में एक आख्यात्मक आदेश (SPEAKING ORDER) द्वारा निस्तारित किए जाने के निर्देश प्रदान किए हैं।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में श्री विजय कुमार सैनी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं की पत्नी के सूचना सहायक के पद पर झुंझुनू में कार्यरत होने व गालब्लेडर स्टोन की रोगी होने, स्वयं के दो छोटे बच्चों व वृद्ध तथा बीमार माता पिता की जिम्मेदारी स्वयं पर होने और स्वयं के फिस्टूला से ग्रसित होने के आधार पर अपना पदस्थापन राउमावि, कोलशिया, झुंझुनू/राउमावि, बाकरा, झुंझुनू/राउमावि, इस्लामपुर झुंझुनू/राउमावि चूड़ी, अजीतगढ़, झुंझुनू/राउमावि, वाहिदपुरा, झुंझुनू (कृषि विज्ञान)/डाईट, झुंझुनू/राउमावि जीताला पाटन, सीकर अथवा राउमावि लाड़नू, नागौर में व्याख्याता रसायन विज्ञान के पद पर लगाने की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित-अभिलेखों-का-परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। यह विधि सुरथापित सिद्धांत है कि किसी लोक सेवक द्वारा अपने इच्छित स्थान पर ही पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

सभी संबंधित पक्षकार सूचित होंगे।


  
(सौरभ स्वामी)

IAS  
निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

दिनांक:- 25/02/21

क्रमांक: शिविरा/माध्य/सी-4/रजीगृ/विजय कुमार सैनी/873/को.के/21  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा विभाग जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ), जयपुर/जोधपुर।
5. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य)।
7. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
8. संबंधित संस्था प्रधान।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।
10. सिस्टम एनेलेसिस्ट कम्प्युटर अनुभाग।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर